HRCI en USIUSI The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2010/पौष 10, 1932

No. 2587]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2010/PAUSA 10, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3080(अ).—यतः मै. आर. सी. इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य में एक निजी संगठन है, ने उत्तर प्रदेश राज्य में एलॉट नम्बर टीजेड-09 टेक्निकल जोन, ग्रेटर नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्निलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधि सूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

स्थान का नाम	सर्वेक्षण/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
टैक्निकल जोन	टीजेड09	10

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक सिमिति, जिसे अनुमोदन सिमिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात :—

- 1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक
- 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- 7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए —सदस्य, पदेन जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा

मै. आर. सी. इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड -विशेष (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रिती और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदुद्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्यक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

> [फा. सं. एफ. 2/314/2006-ईपीजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) **NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2010

S.O. 3080(E). Whereas M/s. R. C. Infosystems Private Limited, a private organization in the State of Uttar Pradesh, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. TZ-09, Technical Zone, Greater Noida in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 27th February, 2008;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

Name of the Location	Survey/ Plot No.	Area (in hectares)
Technical Zone	TZ-09	10

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005),

hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1. Development Commissioner

to the Government of India

- —Chairperson, of the Special Economic Zone exofficio 2. Director or Deputy Secretary ---Member to the Government of India, ex officio Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary
- 3. Zonal Joint Director General of ---Member Foreign Trade, having ex officio territorial jurisdiction over the Special Economic Zone
- 4. Commissioner of Customs or -Member Central Excise having territorial ex officio jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner
- 5. Commissioner of Income Tax ---Member having territorial jurisdiction ex officio over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner
- 6. Director (Banking) in the Ministry —Member of Finance, Banking Division, ex officio Government of India
- 7. Two Officers, not below the rank Members, of Joint Secretary, to be nominated ex officio by the Government of Uttar Pradesh
- 8. Representative of M/s. R. C. Infosystems Special . Private Limited, Invitee (Developer of the Zone)

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 31st day of December, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of-1962).

> [F. No. F. 2/314/2006-EPZ] ANIL MUKIM, Jt. Secy.